न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 94/2018

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 मेहरचन्द आयु 68 वर्ष पुत्र गणेशाराम जाति जाट निवासी अगुना धींधवा तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 भागुराम उर्फ भागुसिंह पुत्र गणेशाराम जाति जाट निवासी अगुनां धींधवा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।
2 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा पिलानी जिला झुंझुनू जरिये शाखा प्रबंधक
3 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ
निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 03.10.17
बअदालत उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ मुकदमा
उनवानी भागुसिंह बनाम मेहरचन्द मु.नं. 209/15
दावा बाबत घोषणा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील संख्या 95/2018

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 मेहरचन्द आयु 68 वर्ष पुत्र गणेशाराम जाति जाट निवासी अगुना धींधवा तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 भागुराम उर्फ भागुसिंह पुत्र गणेशाराम जाति जाट निवासी अगुनां धींधवा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।
2 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा पिलानी जिला झुंझुनू जरिये शाखा प्रबंधक
3 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ
निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.06.17
बअदालत उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ मुकदमा
उनवानी भागुसिंह बनाम मेहरचन्द मु.नं. 209/15
दावा बाबत घोषणा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित

1. श्री राजेश पूनियां अधिवक्ता अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

—निर्णय—

दिनांकः— 11-1-19

यह दोनों अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ द्वारा दावा संख्या 209/2015 में पारित प्राथमिक डिकी दिनांक 12.06.2017 एवं अन्तिम डिकी दिनांक 03.10.2017 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। दोनों अपीलों में पक्षकार एवं विवादित भूमि समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है निर्णय की प्रतियां दोनों पत्रावलीयों में प्रथक—प्रथक रखी जायें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने विचारण न्यायालय में दावा बाबत खाता विभाजन घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 96 वाके सरहद जिणी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 12.06.2017 को प्राथमिक डिकी एवं दिनांक 03.10.2017 को अन्तिम डिकी पारित की है। जिसके विरूद्व प्रतिवादी अपीलांट की और से यह दोनों अपीले धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की है।

बहस वकील अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट दिनांक 05.05.2015 को उपस्थित हो चुका था उसके उपरान्त निरन्तर उपस्थित हो रहा था दिनांक 18.04.2017 को आगामी तारिख पेशी 19.06.2017 दी गई थी विचारण न्यायालय ने इस तिथि से पूर्व ही दिनांक 12.06.2017 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प जीणी में बिना सूचना रखकर प्राथमिक डिकी जारी कर दी इसके उपरान्त अन्तिम डिकी जारी कर दी। जिसकी अपीलांट को कोई जानकारी नही हुई। 25.07.2018 को जानकारी होने पर जानकारी से

Lano
संभागीय अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अन्दर मियाद दोनों अपीले पेश कर दी है विचारण न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के खिलाफ होने से खारिज योग्य है। अपील स्वीकार की जायें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील में रेस्पोडेंट बावजुद तामिल हाजिर नही है अपीलांट द्वारा अपील धारा 5 के आवेदन एवं शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत की गई है। जिसका कोई खण्डन नही होने से न्यायहित में दोनों अपीलों में प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाता है एवं दोनों अपीले प्रस्तुत करने में हुई देरी कन्डोन की जाती है।

प्रकरण के गुणावगुण के सन्दर्भ में विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया विचारण न्यायालय में अपीलांट दिनांक 05.05.2015 को उपस्थित हो चुका था उसके उपरान्त निरन्तर उपस्थित हो रहा था दिनांक 18.04.2017 को आगामी तारिख पेशी 19.06.2017 दी गई थी विचारण न्यायालय ने इस तिथि से पूर्व ही दिनांक 12.06.2017 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प जीणी में बिना सूचना रखकर प्राथमिक डिकी जारी कर दी इसके उपरान्त अन्तिम डिकी जारी कर दी। विचारण न्यायालय में वादी ने वाद घोषणा एवं विभाजन का प्रस्तुत किया था विचारण न्यायालय ने दिनांक 12.06.2017 को केवल मात्र विभाजन की प्राथमिक डिकी जारी की है पत्रावली विचारण न्यायालय में दिनांक 18.4.2017 को 19.06.2017 के लिए नियत की गई थी इससे पूर्व पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प जीणी में दिनांक 12.06.2017 को पेशी में ली गई है। इस तिथि के लिए अपीलांट को कोई सूचना दी गई हो ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है इसके उपरान्त पुन प्रतिवादी अपीलांट को सुने बिना दिनांक 03.10.2017 को अन्तिम डिकी पारित कर दी गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

राजस्थान कोर्ट मेन्यूअल एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विधिक प्रावधानों की अनदेखी कर प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विरूद्व अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किये गये है। जिन्हे विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक एवं अन्तिम डिक्री के निर्णय अपास्त किये जाते है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान कर विधिक प्रकिया अपनाकर गुणावगुण पर प्रकरण में पुन निर्णय पारित करें। अपीलांट विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.02.2019 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 11.01.19 को सरे इजलास सुनाया गया।

11.1.19

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर